कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला(म.प्र.)

Phone: 07642-299078 Email- Secdlsamdl@mp.gov.in

पृ.क्रं. 1003 / LADCS / जिविसेप्रा / 2025 मंडला, दिनांक 10 / 07 / 2026

/ /विज्ञापन/ /

असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कांउसिल के पद पर संविदा आधारित चयन हेतु विज्ञप्ति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विधिक सेवा प्रदाय हेतु एक नया मॉडल "Legal Aid Defence Counsel System (LADCS)" बनाया गया है उक्त मॉडल के अनुसार आपराधिक प्रकरणों के गिरफ्तारी पूर्व प्रक्रम से लेकर अपीलों आदि के समापन तक प्रत्येक चरण में विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल से संबंधित एस.ओ.पी., नालसा लीगल एड डिफेंस काउंसिल मॉडिफाईड स्कीम, 2022 के उपबंधों के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला में स्थापित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में संविदा आधार पर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चयन के लिए आवेदन आहूत किये जा रहे हैं।

1. **पदनाम, पदसंख्या, मानदेय, न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव :–**

कमांक	जिले का नाम	पद का नाम	रिक्त पद की संख्या	न्यूनतम योग्यता	श्रेणी सी जिले हेतु निर्धारित मानदेय राशि रूपये
1	Mandla	Assistant Legal Aid Defence Counsel	01	1. Practice in criminal law from 1 to 3 years 2. Good oral and written communication skills. 3. Thorough understanding of ethical duties of defence counsel. 4. Ability to work effectively and efficiently with others. 5. Excellent writing and research skills. 6. IT Knowledge with proficiency in work.	25,000/- per month

नोटः– उपरोक्त पद पर कार्य करने हेतु चयनित अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला द्वारा पैरवी के लिए सौंपे गये प्रकरणों एवं कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की प्राईवेट प्रैक्टिस संविदा अवधि के दौरान नहीं कर सकेंगे। उक्त पद पर चयनित अधिवक्ता की अतिरिक्त योग्यता, सेवा अवधि, सेवा की शर्ते तथा मानदेय नालसा लीगल एड डिफेंस काउंसिल मॉडिफाईड स्कीम, 2022 के उपबंधों के अधीन रहेगी। पदों की संख्या म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार कम या अधिक की जा सकती है। उक्त विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है। नियुक्ति के लिए आवेदन करने से किसी भी प्रकार को कोई भी अधिकार/आश्वासन नहीं बनता है।

2. **आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने की प्रक्रियाः–**

उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की आधिकारिक वेबसाईट https://madhyapradesh.nalsa.gov.in पर, जिला न्यायालय, मण्डला की आधिकारिक वेबसाईट https://mandla.dcourts.gov.in/ पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन जिला न्यायालय, मण्डला, तहसील न्यायालय निवास,नैनपुर एवं बिछिया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

3. **आवेदन भरने की प्रक्रियाः–**

सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न न हो। एक बार आवेदन कार्यालय में जमा कर दिये जाने के पश्चात किसी भी संशोधन की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथिः–**

इच्छुक अभ्यर्थी विहित आवेदन को उचित ढंग से भरकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला (म.प्र.) के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक **15.04.2026 दिन बुधवार को समय सायं 5.00 बजे** तक जमा किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. **आवेदनों के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः–**

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेंः–

1- Two or more Contested Judgments of Conviction/ Acquittal with Vakalatnama (If available).
2- Two or more Witness Statements recorded during Trial (If available).
3- Experience Certificate(s) related to practice on the Criminal Side.
4- Documents regarding previously worked as Legal Aid Defence Counsel (If available)

इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी निम्नानुसार विषय में अतिरिक्त योग्यता रखता हो तो दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेंः–

1- Knowledge of Information Technology and Legal Software Tools.
2- LL.M. Degree (If available).
3- Ph.D. in Law (If available).

6. **आवेदनों की जांच एवं चयन प्रक्रियाः–**

अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों की विहित नियमों के अनुसार जांच की जाएगी। जांच में यदि यह पाया जाता है कि आवेदन अपूर्ण है या उसमें दी गई जानकारी असत्य है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला को उक्त आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। आवेदनों की जांच के उपरांत साक्षात्कार के लिए पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला (म.प्र.) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। इसके पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को पूर्व सूचना देकर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार प्रधान

जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष होगा। उक्त चयन समिति द्वारा चयनित वरीयता सूची को अनुमोदन हेतु माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को भेजा जाएगा और अंतिम नियुक्ति उक्त अनुमोदन के अधीन होगी।

7. चयन का मापदण्डः–

अभ्यर्थियों का चयन लीगल एड डिफेंस काउंसिल मोडिफाईड स्कीम, 2022 के उपबंधों के अधीन असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद के लिए उल्लिखित मापदंड प्रयोज्य होंगे।

8. अवकाश पात्रता, कार्यकाल एवं अन्य सेवा शर्तेः–

असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की अवकाश पात्रता, कार्यकाल एवं अन्य सेवा शर्तें विज्ञप्ति के साथ संलग्न लीगल एड डिफेंस काउंसिल मोडिफाईड स्कीम, 2022 के उपबंधों के अनुसार होगी।

नोटः– असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल पद पर नियुक्त व्यक्ति पूर्ण सर्तकता एवं सद्भाविकता से अपने कार्य का निष्पादन करेंगे और अपने कार्य के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निगरानी में रहेंगे।

संलग्नः– 1. विहित आवेदन प्रारूप।
2. एल.ए.डी.सी.एस. मॉडिफाईड स्कीम, 2022।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार)

10/3/26
(तपन धारगा)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मण्डला (म0प्र0)